अतितत्काल
समयबद्ध
वार्षिक लेखाओं का बंद होना

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, नई दिल्ली-110001

सेवा में,

1. सभी संचार लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक कार्यालय
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली
3. वरिष्ठ उपमहानिदेशक, टीईसी, खुर्शीदलाल भवन, नई दिल्ली
4. निदेशक, टी.डी.एस.ए.टी. होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21

संख्या: 41-1/2010/टीए II **दिनांक 28 फरवरी , 2011, नई दिल्ली**

विषय: वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं को समेकित करना और प्रस्तुत करना-लेखाओं को बंद करने की निर्धारित सारणी-निर्देश के संबंध में।

भारत सरकार के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक खाते बंद किये जाने हैं और विनिर्दिष्ट तारीखों पर संसद में प्रस्तुत किए जाने हैं। इस उद्देश्य के लिए दूरसंचार विभाग के खाते बंद किए जाने हैं और वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में पहले निर्धारित तारीखों तक प्रस्तुत किए जाने हैं।

सर्किलों से सर्किल सार (रोकड़) एवं अन्य विवरण को प्राप्त करने की समय सारणी को इस पत्र के **अनुबंध-क** में तदनुसार दर्शाया गया है जिसे रिटर्न कलेंडर में नोट किया जाए और इसका कड़ा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। **आरबीआई बहियों के प्रतिवर्ष 25 अप्रैल के स्थान पर 15 अप्रैल को समाप्त होने को देखते हुए लेखा महानियंत्रक ने मार्च (प्रारंभिक) और मार्च (अंतिम) हेतु निर्धारित तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। चूंकि निदेशालय द्वारा समानुपाती कमी पर विचार किया गया है, इसलिए दोहराया जाता है कि सभी संचार लेखा नियंत्रक निर्धारित तारीखों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।**

इस बारे में सभी संचार लेखा नियंत्रकों का ध्यान टीए मैनुअल के अध्याय VI के अनुबंध ग में दिए गए दिशा-निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। खाते /अन्य विवरण एकत्र करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश इस पत्र के **अनुबंध ख** में दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और वर्ष 2010-2011 के खाते बंद करने से पहले उनकी समीक्षा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं।

जारी-----2/-

यह देखा गया है कि कुछ संचार लेखा नियंत्रक मार्च में (अंतिम) खाते बंद करने के बाद बड़ी संख्या में जरनल स्लिप भिजवाते हैं। इससे बचना चाहिए। इसलिए समुचित आयोजना किए जाने की आवश्यकता है और मार्च में (अंतिम) खाते बंद करने के बाद, जीपीएफ पर ब्याज देने के अलावा, बीएसएनएल द्वारा कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। मार्च में (अंतिम) खाते बंद करने के बाद यदि जनरल स्लिप जारी करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कम्प्यूटर कोड सहित मासिक एवं प्रगामी आँकडे दिए जाने चाहिएं और उसे संचार लेखा नियंत्रक/सीसीए कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से समुचित स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

फ्लॉपी/हार्ड कापी/विवरण वाले लिफाफों को स्पीड पोस्ट से श्री एस.के. मुखर्जी, सहायक महानिदेशक, (दूरसंचार प्रकोष्ठ खाते), कमरा संख्या:917, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाए। अग्रेषण पत्र एवं फ्लॉपी पर ऊपर की ओर **"मार्च 2011 (पी)/201003 हेतु सीसीए रोकड़ खाते "** लिखा होना चाहिए। इन लेखाओं का कार्य देखने वाले अधिकारियों के नाम एवं (कार्यालय एवं आवास का) टेलीफोन नं: भी अग्रेषण पत्र पर लिखे जाने चाहिएं।

संलग्न: यथोक्त

अमुथा 29/3/11
(डी. सई अमुथा देवी)
निदेशक (लेखा-I)
टेलीफोन नं: 23036511

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य (वित्त)/ सलाहकार (वित्त) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. वित्त खंड, दूरसंचार विभाग के सभी वरिष्ठ उपमहानिदेशक/उपमहानिदेशक
3. महानिदेशक लेखापरीक्षा (पी एंड टी), सिविल लाइंस, दिल्ली-110054
4. महानियंत्रक लेखा, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003 को उनके पत्र संख्या: जी.25018/1/2009-10/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/ दिनांक के संदर्भ में।
5. निदेशक (लेखा-II), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. निदेशक (बजट)/निदेशक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
7. गार्ड फाइल
8. अतिरिक्त प्रति

अमुथा 29/3/11
(डी. सई अमुथा देवी)
निदेशक (लेखा-I)
टेलीफोन नं: 23036511

अनुबंध-क

लेखाओं/विवरण की प्राप्ति की निर्धारित तारीखें

क्रम संख्या	ब्यौरा	वह तारीख जब तक लेखा/विवरण निदेशालय में पहुंचने चाहिएं
1	रोकड सर्किल सार मार्च (पी) 2011	22.04.2011
2	रोकड सर्किल सार मार्च पूरक लेखा 2011	05.05.2011
3	रोकड सर्किल सार मार्च (अन्तिम) 2011	19.05.2011
4	प्रगामी आँकड़ों को दर्शाते हुए हार्ड कॉपी के साथ फ्लॉपी में जरनल प्रविष्टियाँ	10.06.2011
5	गत वर्षों के समान संघ वित्त लेखाओं हेतु सामग्री	10.06.2011
6	विनियोजन खातों हेतु सामग्री	10.06.2011
7	सर्किल विनियोजन खाते **निदेशक (बजट), दूरसंचार विभाग** को भेजे जाएं	11.06.2011

अमुथा 28/3/11

(डी. सई अमुथा देवी)
निदेशक (लेखा-I)
टेलीफोन नं: 23036511

<u>अनुबंध-ख</u>

वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं/विवरणों को एकत्र करने हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश

सभी फ्लॉपियों के साथ हार्डकॉपी के साथ-साथ संचार लेखा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रमाणपत्र होने चाहिएं। अन्य यानि जो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके नकदी खाते करंट में **करेक्ट लिंक एकाउंट कोड (टीएसीटी)** और निर्धारित प्रमाण पत्रों **के साथ-साथ स्वीकार्य मासिक एवं प्रगामी आँकड़े होने चाहिएं ।**

भाग-I समेकित परिव्यय में टीएसीटी कोड-1515 के मद्देनजर एमएच.3275-00-103 यूएसओ के तहत बुकिंग, एमएच. 3275-00-902-टीएसीटी कोड-1508 (बुक किए जाने वाले टीएसीटी कोड 1515 के सामने दर्शाई गई राशि की माइनस प्रविष्टि) और लोक लेखा भुगतान पक्ष में एमएच. 8235-00-118-टीएसीटी कोड-2821के तहत सही बुकिंग की जानी चाहिए। सभी तीनों प्रविष्टियाँ समान होनी चाहिएं। अतएव एकत्र करने से पहले बुकिंग के सही होने को सुनिश्चित करें और निदेशालय को सही लेखा भेजें। एम.एच. 3451-090-68 के तहत क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा कोई बुकिंग नहीं की जानी चाहिए, मार्च, 2011 (पी) लेखाओं को बंद करने से पहले इसकी जांच की जाए और इसे संशोधित किया जाए। किसी भी गलत प्रविष्टि को मार्च (पी) 2011 खाते में वापस लिया जाए और निदेशालय को लेखों के प्रेषण से पहले उनका सही होना सुनिश्चित किया जाए।

अनुदान मांगों के ब्यौरे की कृपया जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2010-11 के दौरान सही और अनुमोदित लेखाशीर्ष में से ही परिव्यय किया गया है।

भाग I क :

0020 : यह शीर्ष केवल पंजीकृत ठेकेदारों से प्राप्त कारपोरेट कर को समायोजित करने के लिए अभिप्रेत है। (इस समय लेखा कार्यालयों द्वारा इस मुख्य शीर्ष को प्रचालित करने की आवश्यकता नहीं है)।

0021 : टैक्ट कोड 2 के समक्ष आय कर की वसूली पूर्णतः रूपये में होनी चाहिए। इस शीर्ष के अन्तर्गत की गई बुकिंग सही-सही सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस शीर्ष के अंतर्गत टैक्ट कोड 227 के समक्ष 2 % की दर से शिक्षा उपकर और 1% की दर से उच्च शिक्षा उपकर को बुक किया जाना चाहिए जो कि इस वर्ष के वित्त अधिनियम के अनुसार होना चाहिए जिससे यह संबंधित है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस सेस का योग टैक्ट कोड 2 के तहत बुक आयकर की राशि का 03 प्रतिशत (2 + 1) होना चाहिए।

0071(क) : निदेशालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी बीएसएनएल इकाईयों को दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठ के लिए पेंशन अंशदान तथा छुट्टी के वेतन हेतु मासिक रूप से अंशदान करना होगा। इस शीर्ष के तहत बीएसएनएल इकाइयों से प्राप्त पेंशन अंशदान और छुट्टी के वेतन अंशदान को एक साथ क्रेडिट करना होगा। यदि छुट्टी वेतन का अंशदान अलग से प्राप्त किया जाता है तो इसे एमएच 1275 00 800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत क्रेडिट करना होगा। **तथापि, पेंशन अंशदान तथा छुट्टी के वेतन अंशदान संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा उस लेखा शीर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए जिसके अंतर्गत इन्हें बुक किया गया है, अनुबंध-VIII में प्रस्तुत किया जाए।**

(ख) टैक्ट कोड 269 और 270 को देखते हुए एनपीएस के तहत प्राप्त अंशदान को सरकारी अंशदान (लेखा कोड 007) और सरकारी सेवक अंशदान (लेखा कोड 0071005000001) दोनों के संबंध में इस शीर्ष में बुक किया जाना चाहिए । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इन दोनों लेखा शीर्षों के तहत बकाया शून्य होना चाहिए । यदि इन दोनों शीर्षों में कोई बकाया शेष रहता है तो उसे अंतरण प्रविष्टियां करके संशोधित किया जाना चाहिए ।

0210 : यह शीर्ष मंत्रालय में कार्यरत तथा अभी विभाग में कार्यरत तथा सीजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों से वसूले गए अंशदानों की बुकिंग के लिए अभिप्रेत है।

0216 : यह शीर्ष उन कर्मचारियों से वसूले गए लाइसेंस शुल्कों की बुकिंग के लिए अभिप्रेत है जिन्हें सामान्य पूल (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) के क्वार्टर आवंटित किए गए हैं। पी एण्ड टी क्वार्टर रखने वाले कर्मचारियों से वसूल किया गया लाइसेंस शुल्क बीएसएनएल को भेज दिया जाएगा।

0235 : यह शीर्ष 1980 से पहले सेवा में आए तथा पुरानी बीमा योजना सीजीईआईएस 1977 का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से प्राप्त अंशदानों की बुकिंग के लिए अभिप्रेत है। चूंकि इसका प्रीमियम 5रु0 है, इसलिए वसूल की गई राशि 5 रु0 का गुणक होगी। इस स्कीम में कोई बढ़ोतरी भी नहीं होगी, वर्ष के लिए क्रेडिट पिछले वर्ष की तुलना में अधिक नहीं होगा।

7610 : आपदा अग्रिम राशि तथा त्यौहार अग्रिम राशि को इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बुक नहीं किया जाता। इनकी गणना केवल सेवा शीर्ष के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा ऋणात्मक प्राप्तियां देखी जा रही हैं जिन्हें संशोधित किया जाए।

1275: लघु शीर्ष 103 स्पेक्ट्रम प्रभार और 104 - लाइसेंस शुल्क के तहत की गई बुकिंग की समीक्षा की जाए और निदेशालय की डब्ल्यूपीएफ और एलएफ शाखाओं को सूचित किए जा रहे आंकडों से उनकी जांच की जाए और किसी भी त्रुटि के प्रकाश में आने पर उसे संशोधित किया जाए।

अंतरिम बजट गैर योजनागत :

मुख्य शीर्ष 2049 सामान्य भविष्य निधि शेष राशियों पर ब्याज के संबंध में, बीएसएनएल के कर्मचारियों सहित इसे 31.05.11 तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, पूरा करने की तारीख में संशोधन के साथ दिनांक 06.04.2004 के पत्र सं0 8-28/96-टीएआई/ केडब्ल्यू के तहत जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। संक्षेप में, गौण स्विचन क्षेत्र, बीएसएनएल सर्किल से **अनुबंध-क** की प्राप्ति पर लेखांकन इकाई **अनुबंध ख** को संचार लेखा नियंत्रक इकाइयों के पास भेजेगी। संचार लेखा नियंत्रक इकाई इस सूची(**अनुबंध क और ख**) की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्याज व्यक्तिगत लेखा में जोड़ दिया गया है। सूची को जांचने के बाद, संचार लेखा नियंत्रक दिनांक 06.04.2006 के पत्र सं0 8-28/96-टीएआई/केडब्ल्यू में यथावर्णित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियों को पारित करेंगे। **किसी भी कारण से इस मामले पर जर्नल स्लिप के अभाव में मार्च (प्रारंभिक) और (विशेष) की प्रस्तुति लंबित नहीं होनी चाहिए। भारत संचार निगम लिमिटेड की इकाइयों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में उत्तरदायित्व उन्हीं पर है।**

मुख्य शीर्ष 2071 : पेंशन व्यय को टीएसीटी कोड 1527, 1529,1530,1531,1532 और 1534 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। टैक्ट कोड 20, 21 और 22 में दर्शाई गई बुकिंग को वापस लिया जाए और उपर्युक्त उल्लिखित टैक्ट कोड में इसे दर्ज किया जाए। **नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार का अंशदान टीएसीटी कोड-1526 के अंतर्गत बुक किया जाना है और तत्संबंधी क्रेडिट को मुख्य शीर्ष 007100500002 टीएसीटी कोड-270 के अंतर्गत बुक किया जाए और सुनिश्चित करें कि इन दोनों शीर्षों में बुकिंग बराबर है।**

सभी ऋणात्मक व्ययों की समीक्षा और उनका परिशोधन किया जाना अपेक्षित है।

लोक लेखा :

<u>मुख्य शीर्ष 8009</u> : मुख्य शीर्ष 8009 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत संचार निगम लिमिटेड सहित सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/आदि से संबंधित समस्त लेन-देनों का लेखांकन सही किया गया है और ब्याज का परिकलन सही किया गया तथा इसे मुख्य शीर्ष में समायोजित कर दिया गया है।"ओ/टी समूह घ" और "समूह घ" में अंशदानों का ब्योरा देने का कार्य इकाइयों द्वारा नहीं किया जाता है जिसमें लेखों को बंद करने से पूर्व सुधार कर दिया जाए।

मुख्य शीर्ष 8011 : सीजीईजीआईएस और पीएलआई (i) सीसीए के कर्मचारियों से वसूल किए गए पीएलआई प्रीमियम के संबंध में विभाग द्वारा केवल प्राप्ति पक्ष का संचालन किया जाता है और इनका लेखांकन किया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा बीएसएनएल इकाइयों के कर्मचारियों से वसूल किए गए पीएलआई प्रीमियम को निकटतम डाकघरों में जमा कराना पड़ेगा। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बीएसएनएल द्वारा इस प्रकार की कोई वसूली अनुसूचियों के जरिए पास न की जाए।

(ii) जहां तक सीजीईजीआईएस का संबंध है, वसूल की गई राशि 15/-रु0 के गुणकों में होनी चाहिए। भुगतान पक्ष के अंतर्गत दो शीर्षों का संचालन किया जाता है अर्थात (i) बीमा निधि (टैक्ट कोड 14) और (II) बचत निधि (टैक्ट कोड 15) जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। **कृपया यह सुनिश्चित करें कि बीमा निधि के अंतर्गत भुगतान 15000/- रु0 के गुणकों में हों।**

मुख्य शीर्ष 8662 : पीएसबी उचत के अंतर्गत "बैंक से आहरण" और "बैंक में जमा" का संचालन क्रमशः जमा और नामे के रूप में किया जाता है। कई इकाइयां दोनों पक्षों का संचालन कर रही हैं। पहले उत्पन्न हुए उचंत की "नामे" अथवा "जमा" की विपरीत प्रविष्टि करने के बजाए, जैसा मामला हो, नामे (-) अथवा जमा (-) द्वारा इनका निपटान कर किया जाए।

मुख्य शीर्ष 8677 : बैंकों/कोषागारों में जमा-लघु शीर्ष-105-दूरसंचार उप शीर्ष बैंकों में जमा का लेखांकन केवल नामे पक्ष (भुगतान) में किया जाना है। यह एक अस्थायी लेखा शीर्ष है और इसके अलावा, समान्यतः वर्ष के अंत में इसमें कोई राशि बकाया नहीं छोड़नी चाहिए। इस शीर्ष के अंतर्गत शुरु में बुक की गई राशि का निपटान मुख्य शीर्ष 8662 00 108 पीएसबी उचंत 02-बैंक को जमा में स्वीकृत नामे के डीएमएस विवरण की सीमा तक नामे को घटाकर किया जाता है और इस शीर्ष के अंतर्गत कोई बकाया शेष असंबद्ध मदों का परिचायक है। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे लेन-देन करने वाले कार्यालयो का संबंध है,इस शीर्ष का निपटान मुख्य शीर्ष 8675 आरबीआई में जमा को प्रति विपरीत जमा के जमा को घटाकर किया जाता है। बकाया राशि में होने वाली वृद्धि पर लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है और इसलिए इसकी संपूर्ण पुनरीक्षा की जानी चाहिए तथा इस शीर्ष के अंतर्गत पूरी राशि का निपटान किया जाना चाहिए।

मुख्य शीर्ष 8670- बैंक से आहरण : "बैंक से आहरण" केवल जमा पक्ष (प्राप्ति) के तहत लेखा योग्य है। यह एक संक्रमणकालीन लेखा शीर्ष है और इस शीर्ष के तहत बुक की गई राशि एमएच 8662 00108 पीएसबी उचंत-01 बैंक से आहरण में प्रति विपरीत जमा राशि द्वारा (सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से संबंधित कार्यालयों के मामले में) और एमएच 8675 भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि में आरबीआई प्रति विपरीत में आरबीआई प्रति विपरीत जमा के मामले में डीएमएस विवरणों की प्राप्तियों पर ऋणात्मक जमा राशि द्वारा भी समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया राशि की समग्र समीक्षा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले संचालित और समाशोधित की जानी चाहिए। इस शीर्ष में बकाया राशि बढ़ाने के लिए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने प्रतिकूल टिप्पणी की है।

मुख्य शीर्ष 8675 - केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से मार्च 2011 तक प्राप्त विवरणों के संदर्भ में आरबीआई के साथ समाशोधन (अवशिष्ट लेनदेन सहित) का लेखांकन आरबीआई द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों सहित सर्किल आंकड़ों के पूर्ण एवं उपयुक्त करार के साथ मार्च, 2011 में किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाए **[जिसे मार्च (प्रारंभिक) 2011 तथा मार्च (अंतिम) 2011 के साथ भी प्रस्तुत किया जाए।**

8782 - मुख्य लेखा नियंत्रक के लेखाओं में कोई भी लेन-देन, निदेशालय द्वारा कुछ अन्यथा विनिर्दिष्ट लेन देन को छोड़कर, नहीं होना चाहिए। सभी लेन देन का निपटान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा नकद में किया जाना है। इसलिए, बुकिंग की समीक्षा तत्काल की जाए तथा इसमें सुधार किया जाए।

वर्ष 2010-11 के दौरान हानियों और बट्टे खाते में डाले गए/माफ किए गए अप्राप्य देयताओं और किए गए अनुग्रह भुगतान के ब्यौरे को भी मार्च,2011 (अंतिम) लेखा के लिए भेजा जाए।

सार्वजनिक लेखा (डेबिट/क्रेडिट) के तहत उचन्त/प्रेषण के अंतर्गत आने वाले सभी विस्तृत शीर्षों की समीक्षा की जाए तथा इन्हें लेखाओं के बंद होने के पूर्व परिसमापन करने के प्रयास किए जाएं।

पृथक रूप से स्पष्टीकरण दिया जाए, जहां कहीं भी प्रमाण-पत्रों के तहत इस मामले में प्रयासों के बावजूद शेष रहे।

<u>ऋणात्मक बुकिंग</u> - **सभी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ऋणात्म्क बुकिंग के संबंध में स्पष्टीकरण अनिवार्यतः अनुबंध-VII में दिए गए प्रारूप में उपयुक्त रूप से प्रस्तुत की जाए क्योंकि विभाग को वार्षिक लेखाओं सहित इस स्पष्टीकरण को महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय लेखा परीक्षा महानिदेशक (सीआर) को प्रस्तुत करनी है।**

वर्ष 2010-11 के दौरान में वसूल किए गए तथा समायोजित पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान का ब्यौरा

दूरसंचार विभाग के प्रकोष्ठ का नाम :

क्र.सं.	समूह	कर्मचारियों की संख्या और अवधि	अंशदान की राशि (पूर्णांकित रु0 में)		सौंपों का योग	
			पेंशन	छुट्टी वेतन	पेंशन	छुट्टी वेतन

ह0/-
संचार लेखा नियंत्रक/
संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक
उप संचार लेखा नियंत्रक

टिप्पणी: बी0एस0एन0एल0, एम0टी0एन0एल0, टी0सी0आई0एल0, आई0टी0यू0 अथवा किन्हीं अन्य संगठनों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण आदि के अंशदान संबंधी ब्यौरे अलग-अलग दर्शाएं।

प्रमाणपत्र को मार्च (प्रारंभिक) 2011 और मार्च (अंतिम) 2011 के साथ संलग्न किया जाए

(i) प्रमाणित किया जाता है कि लेखाओं में शामिल सभी प्रकार के व्यय हेतु अपेक्षित और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(ii) अनुदान सं0 14 के संबंध में वर्ष 2010-11 के दौरान हुए सभी व्ययों को ठीक ढंग से वर्गीकृत किया गया है और किसी भी संबंधित राशि को भुगतान वाउचरों इत्यादि की कमी के कारण किसी उचंत शीर्ष के अधीन असमायोजित नहीं रहने दिया गया है।

(iii) प्रमाणित किया जाता है कि सीएएस (आरबीआई) नागपुर द्वारा मार्च (अवशिष्ट) 2011 तक उनके मासिक विवरण में किए गए सभी समायोजनों को सही ढंग से मार्च (विशेष)2011 में लेखांकित किया गया है।

हस्ताक्षर

संचार लेखा नियंत्रक/
संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक
उप संचार लेखा नियंत्रक

अनुबंध-VI

वर्ष 2010-11 के दौरान हानियों और बट्टे खाते में डाले गए/माफ किए गए अप्राप्य देयताओं और किए गए अनुग्रह भुगतान का ब्यौरा

(राशि लाख रूपये में)

दूरसंचार प्रकोष्ठ का नाम	**अनुग्रह भुगतान की वसूली की माफी के कारण हानियों एवं अप्राप्य राजस्व को बट्टे खाते में डालना**									
	सिस्टम की असफलता		धोखाधड़ी लापरवाही		अन्य कारण					
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि

हस्ताक्षर

संचार लेखा नियंत्रक
संचार लेखा के संयुक्त नियंत्रक
संचार लेखा के उप नियंत्रक

अनुबंध-VII

वर्ष 2010-11 के खातों में मौजूद माइनेस परिव्यय के कारण:-

क्रम संख्या	पार्ट आईए/आईबी(योजना)/ आईबी (गैर-योजना)/IIIक/IIIख	विस्तृत शीर्ष का नाम एवं विवरण	राशि	माइनस बुकिंग के कारण

हस्ताक्षर

संचार लेखा नियंत्रक
संचार लेखा के संयुक्त नियंत्रक
संचार लेखा के उप नियंत्रक